न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 08 / 2014

अपीलांट फूलकंवर पत्नी भगसिंह जाति राजपूत निवासी वन विभाग के पास बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर	बनाम	रेस्पोडेंटस तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 24.12.2009 जो तहसीलदार बाड़मेरु द्वारा मौजा बाड़मेर शहर के नामान्तरकरण संख्या 3131 पर पारित किया गया।

उपस्थित– 1. अपीलांट मय अधिवक्ता उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय दिनांक 8.6.2016

1. अपीलांट ने यह अपील मौजा बाड़मेर शहर पटवार क्षैत्र बाड़मेर के नामान्तरकरण संख्या 3131 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2009 के विरूद्व धाारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांटस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट का खेत खसरा नंबर 3910 / 1361 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा मौजा बाड़मेर शहर में आया हुआ है। अपीलांट का सही नाम फूलकंवर पत्नी भगसिंह है, इसी नाम से उपरोक्त खातेदारी भूमि क्रय की गई एवं उप पंजीयक कार्यालय बाड़मेर में पंजीयन भी नाम से करवाया गया। उप पंजीयक कार्यालय में अग्रेजी की स्पेलिंग की गलती से अपीलांट के पति का नाम भगसिंह के स्थान पर मगसिंह लिख दिया गया। रेस्पोडेंट द्वारा नामान्तरकरण भरते समय अपीलांट का सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट का नाम फूलकंवर पत्नी मगसिंह दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 3131 दिनांक 24.12.2009 स्वीकृत कर दिया। रेस्पोडेंट ने जांच किये बगैर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो कानूनन गलत है। अपीलांट द्वारा केसीसी के लिए आवेदन करने हेतु पटवारी हल्का से नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तो उसे अपने पति का नाम नामान्तरकरण

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

में गलत दर्ज होने की जानकारी हुई, अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुभार करने का निवेदन किया। अपीलांटस ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंट को सम्मन जारी किये। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प मुख्यालय में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषक को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस उपस्थित रहे।

4. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता का यह तर्क कि अपीलांट खसरा नंबर 3910/1361 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीदी, जिसका पंजीयन उप पंजीयक बाड़मेर से करवाया गया। पंजीयन दस्तावेज में अपीलांट का नाम फूलकंवर पत्नी भगसिंह दर्ज है, परन्तु उक्त दस्तावेज के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर ने नामान्तरकरण भरते समय अपीलांट के पति का नाम मगसिंह दर्ज किया, जो गलत है। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलांट का सुनवाई का भी मौका नहीं दिया गया। अपलांट द्वारा पंजीयनसुदा दस्तावेज की प्रति रेस्पोडेंट को पेश की गई, इसके बावजूद भी नामान्तरकरण में उसके पति का नाम गलत इन्द्राज किया गया। कुछ दिन पूर्व ही अपीलांट को इस तथ्य की जानकारी हुई कि उसके पति का नाम रेस्पोडेंट द्वारा नामान्तरकरण में गलत दर्ज किया गया है जिसकी नकलें प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अपील अंदर म्याद पेश की गई है। इसलिए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 3131 जो फूलकंवर पत्नी मगसिंह के नाम से स्वीकार किया गया है, उसे निरस्त किया जाए उसकी जगह फूलकंवर पत्नी भगसिंह का नाम दर्ज किया जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाऐं।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा बाड़मेर शहर के नामान्तरकरण संख्या 3131 पर पारित आदेश दिनांक 24.12.2009 के विरूद्व पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि मौजा बाड़मेर शहर के खसरा नंबर 3910/1361 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा खातेदारी भूमि अपीलांट फूलकंवर पत्नी भगसिंह द्वारा क्रय की गई। उप पंजीयक कार्यालय बाड़मेर द्वारा बेचान दस्तावेज का पंजीयन भी फूलकंवर पत्नी भगसिंह के नाम से किया गया। रेस्पाडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3131 दिनांक 24.12.2009 फूलकंवर पति मगसिंह के नाम से स्वीकार किया गया है, जबकि अपीलांट के पति का नाम बेचान दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजो में भगसिंह दर्ज है। अपीलांट के पति का नाम पारित नामान्तरकरण में सही रूप से अंकित नहीं

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

किया गया है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

6. अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2009 अपास्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता हैं कि अपीलांट फूलकवर पत्नी भगसिंह द्वारा प्रस्तुत बेचान दस्तावेज के आधार पर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने की नियमानुसार कार्यवाही करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

आदेश खुले न्यायालय कोर्ट केम्प मुख्यालय में आज दिनांक 8.6.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)